दिनांक - 06.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 36 घण्टे में दुर्घटना में घायल सर्राफ व्यापारी से आभूषण/ज्वैलरी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये आभूषण/ज्वैलरी (कुल 04 किलो 828 ग्राम सफेद धातु एवं 4.8 ग्राम पीली धातु) व अन्य सामान बरामद बरामद

बरामदगी का विवरणः-

- **268 बिछवे/चुकटी (सफेद धातु)**
- **134 जोडी पायल (सफेद धातु)**
- **12 नोजपिन (पीली धातु)**
- **18 नाक की लौंग (पीली धातु)**
- **32 बच्चो के कंगन (सफेद धातु)**
- **कुछ घुंघरु व लॉक (सफेद धातु)**
- **01 अदद लेजर खाता बुक**
- **01 बिल बुक**
- **03 अदद पीट्ठू बैग**

अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2024 को वादी श्री विकास कुमार काम्बोज पुत्र श्री गणेशीलाल निवासी मदनपुरी कालोनी थाना मंण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात वाहन चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के भतीजे यश काम्बोज पुत्र संजय काम्बोज हाल निवासी मदन पुरी कालोनी से रियालंस पैट्रोल पम्प के आगे वाहन संख्या UP11CA1227 मे टक्कर मार देने तथा अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भतीजे का बैग जिसमे लगभग 08 किलो चादी, 12 ग्राम सोने का सामान, एक छोटा कांटा, एक डिजाईन बुक कुल मिला कर सात डिब्बे को घटनास्थल से लेकर फरार हो जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 312/24 धारा 281/303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी को आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में आभूषण चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **03 अभियुक्तगण 1. निशांत तिवारी उर्फ अंशु पुत्र संजय तिवारी निवासी किरायेदार गली न0 6 मन्दिर मार्ग छज्जोपुर थाना वैलकम दिल्ली, 2. अनुज यादव उर्फ अन्नु पुत्र अमर सिंह यादव निवासी किरायेदार विक्कीराय का मकान न0 A/25 गली न0 04 शिवाजी मार्ग छज्जुपुर शाहदरा थाना वैलकम दिल्ली-32 व 3. सचिन कुमार पुत्र करतार सिंह निवासी मौह्ल्ला बक्काबाद कस्बा व थाना बछरायू जनपद अमरोहा** को जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 268 बिछवे/चुकटी (सफेद धातु), 134 जोडी पायल (सफेद धातु), 12 नोजपिन (पीली धातु), 18 नाक की लौंग (पीली धातु), 32 बच्चो के कंगन (सफेद धातु), कुछ घुंघरु व लॉक (सफेद धातु) कुल 04 किलो 828 ग्राम सफेद धातु एवं 4.8 ग्राम पीली धातु एवं 01 लेजर खाता बुक, 01 बिल बुक व 03 अदद पिट्ठू बैग बरामद। गिरफ्तारी व

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि तीनों आपस में दोस्त है और स्टेशन के पास होटल में किराये का कमरा लेकर रहते है। हम लोग प्लम्बर का काम करते है। घटना वाले दिन हम लोग अपनी साइट सड़क दूधली फैक्ट्री एरिया मे काम करने आये थे, काम करने से पहले हम लोग एक नाई की दुकान पर खड़े बात कर रहे थे कि तभी नाई की दुकान के पास पट्रोल पम्प के सामने स्कूटी सवार व्यक्ति का एक्सीडेन्ट हो गया था। तभी हम लोगो ने स्कूटी सवार व्यक्ति का बैग वहा पड़ा देखा और हमने योजना के तहत वो बैग चोरी कर लिया और वहा से निकल गये बैग को अपने कमरे पर लाकर सामान आपस में बांट लिया। हम लोगो ने सोचा अच्छा खासा माल हाथ लगा है इसे बेचकर मौज मस्ती व अपने शौक पूरा करेगें। कल हम लोग शहर छोड़ने की फिराक में निकले थे कि पुलिस ने हम लोगो को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. निशांत तिवारी उर्फ अंशु पुत्र संजय तिवारी निवासी किरायेदार गली न0-6 मन्दिर मार्ग छज्जोपुर थाना वैलकम दिल्ली
2. अनुज यादव उर्फ अन्नु पुत्र अमर सिंह यादव निवासी किरायेदार विक्कीराय का मकान न0 A/25 गली न0 04 शिवाजी मार्ग छज्जुपुर शाहदरा थाना वैलकम दिल्ली 32
3. सचिन कुमार पुत्र करतार सिंह निवासी मौहल्ला बक्काबाद कस्बा व थाना बछरायू जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरणः-

- 268 बिछवे (चुकटी) सफेद धातु
- 134 जोडी पायल सफेद धातु
- 12 नोजपिन (पीली धातु)
- 18 नाक की लौंग (पीली धातु)
- 32 बच्चो के कंगन (सफेद धातु)
- कुछ घुंघरु व लॉक (सफेद धातु)
- 01 अदद लेजर खाता बुक
- 01 बिल बुक
- 03 अदद पीट्ठू बैग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री श्याम सिहं थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
4. है0कां0 574 अश्वनी थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
5. कां0 1711 मोहन थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
6. कां0 1751 अजय कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांकः 06.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे में समरसेबिल के पाईप चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये समरसेबिल के लोहे के 03 पाईप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.12.2024 को वादी अरुण कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी चौरादेव थाना गागलहेड़ी,सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत 1.सचिन पुत्र श्याम सिंह 2.मोहसीन पुत्र शकूर 3.जतिन पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर से समरसेबिल के लोहे के 03 पाईप चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 263/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एव बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र श्याम सिंह 2.मोहसीन पुत्र शकूर 3.जतिन पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को दिनाक 05/12/2024 को ग्राम चौरादेव की तरफ जाने वाली कच्ची सडक चकरौड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो की कब्जे/निशादेही से चोरी गये 03 समरसेविल के पाईप बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर तीनो अभियुक्तगण ने एक राय होकर बताया कि हम तीनो ने मिलकर दो- तीन दिन पहले ग्राम चौरादेव में एक घर से समरसेबिल के लोहे के तीन पाईप चोरी किये थे जिन्हे हमने कल आम के बाग के पास गन्ने के खेत में छिपा दिया था। आज हम इन्ही चोरी किये हुये समसरेविल के पाईप को लेकर बेचने के लिये जा रहे थे तभी आपने हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सचिन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मोहसीन पुत्र शकूर निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. जतिन पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 03 समरसेविल के पाईप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
2. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
3. है0का0 342 आशीष तोमर थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
4. का0 सरल प्रताप थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 **वांछित अभियुक्त जुल्फकार पुत्र तुफैल निवासी हौजखेडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 325/24 धारा 191(2)/191(3)/190/281/333/115(2)/118(1)/352/351(3) बीएनएस में हौजखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जुल्फकार पुत्र तुफैल निवासी हौजखेडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 854 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 06.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.12.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मोहसीन रजा पुत्र रहमान निवासी मौ0 पीर वाली गली नं0-16 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 5916/24 , मु0अ0स0 374/09 धारा 4/25 आयुध अधिनियम चालानी थाना सरसावा सहारनपुर नियत दिनांक 07.01.25 (न्यायालय एसीजेएम तृतीय महोदय सहारनपुर) मे अभियुक्त / वारण्टी को वारण्टी के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहसीन रजा पुत्र रहमान नि0 मौ0 पीर वाली गली नं0-16 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0श्री रणवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 906 विपिन राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 09/06/2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 337/24 धारा 137(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त विक्की उर्फ देवेन्द्र पुत्र स्वं0 राजेन्द्र निवासी ग्राम करौड़ा थाना पुण्डरी जनपद कैथल (हरियाणा) का नाम प्रकाश मे आया तथा साक्ष्यो के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 61/318(4)/338/336(3)/340(2)/64(1) बीएनएस व 3 / 4 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त विक्की उर्फ देवेन्द्र तथा वादी की नाबालिग पुत्री द्वारा अपने परिवारजनो से जान का खतरा बताते हुए चण्डीगढ़ हाईकोर्ट मे याचिका दायर की गयी थी, जिनको मा0 उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के आदेशानुसार सैफ हाऊस कैथल हरियाणा मे दाखिल कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेत चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05/12/2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त विक्की उर्फ देवेन्द्र पुत्र स्वं0 राजेन्द्र निवासी ग्राम करौड़ा थाना पुण्डरी जनपद कैथल (हरियाणा)** को सैफ हाऊस कैथल हरियाणा से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त विक्की उर्फ देवेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विक्की उर्फ देवेन्द्र पुत्र स्वं0 राजेन्द्र निवासी ग्राम करौड़ा थाना पुण्डरी जनपद कैथल (हरियाणा)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

(1) उ0नि0 दिनेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(2) म0उ0नि0 राधा चौहान थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(3) है0कां0 836 चन्द्रपाल सिंह गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांकः 06.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 05 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 12.09.2024 को वादी श्री नवीन पुत्र राकेश कुमार ग्राम शेरमऊ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-406/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.12.2024 को वादी श्री सुशील कुमार पुत्र निरंजन निवासी ग्राम शेरमऊ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रभा गार्डन गंगोह से वादी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-521/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोरी घटनाओ में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06/12/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर वाहन चोर/**अभियुक्तगण 1. सावेज पुत्र जाहिद निवासी मौ0 कोटला कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर, 2. सावेज उर्फ सादा पुत्र अकबर निवासी ग्राम बाडीमाजरा थाना गंगोह सहारनपुर, 3. सुल्तान पुत्र शहीद अहमद निवासी ग्राम जुल्ला गेट चौक सराय थाना कोतवाली जिला करनाल हरियाणा व 4. शोएब पुत्र भूरा निवासी ग्राम सागांठेडा थाना गंगोह सहारनपुर** को पशु पैठ चौराहे के पास ग्राम बुढ्ढाखेडा जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 05 मोटरसाइकिल (01 मोटर साईकिल स्पैण्डर UP 11 BD 5751 (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 521/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना गंगोह), 01 मोटर साईकिल स्पैण्डर बिना नम्बर इंजन नं0 HA10AGHHM0749 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-406/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना गंगोह), 01 हीरो एचएफडीलक्स HR 06 AM 9546 (सम्बन्धित मु0अ0स0 46/23 धारा 303(2) बीएनएस थाना सनौली हरियाणा), 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर (संबन्धित मु0अ0सं0 510/22 धारा 303(2) बीएनएस थाना बलदेव नगर हरियाणा पर) व 01 बिना नम्बर की हीरो स्पलेण्डर) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए बरामद चोरी की अन्य मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-523/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम चारो लोग आपस में दोस्त है, हम लोग अलग-अलग स्थानो से मोटर साईकिल चोरी करते है तथा ग्राहक तलाश कर उनको औने पौने दामों पर बेच देते है।

मोटरसाइकिलो को बेचकर जो पैसा मिलता है। उसे हम सभी लोग आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है। जो पैसा मिलता है उससे हम लोग अपने-अपने शौकं पूरा करते है। इन मोटर साईकिलो को भी हम बेचने की फिराक लगे हुए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सावेज पुत्र जाहिद नि0 मौ0कोटला कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर।
2. सावेज उर्फ सादा पुत्र अकबर निवासी ग्राम बाडीमाजरा थाना गंगोह सहारनपुर
3. सुल्तान पुत्र शहीद अहमद नि0 ग्राम जुल्ला गेट चौक सराय थाना कोतवाली करनाल हरियाणा
4. शोएब पुत्र भूरा निवासी ग्राम सागांठेडा थाना गंगोह सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 मोटर साईकिल स्पैण्डर UP 11 BD 5751 (सम्बन्धित मु0अ0सं0- 521/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना गंगोह)
- 01 मोटर साईकिल स्पैण्डर बिना नम्बर इंजन नं0 HA10AGHHM0749 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-406/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना गंगोह)
- 01 हीरो एचएफडीलक्स HR 06 AM 9546 (सम्बन्धित मु0अ0स0 46/23 धारा 303(2) बीएनएस थाना सनौली हरियाणा)
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर (संबन्धित मु0अ0सं0 510/22 धारा 303(2) बीएनएस थाना बलदेव नगर हरियाणा पर)
- 01 हीरो स्पलेण्डर (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 404 मनीष कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 06.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.12.2024 को उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर की तहरीरी सूचना बाबत अभियुक्त मुन्तसिर अंसारी पुत्र नसीर उर्फ निन्ना निवासी ग्राम चुनहैटी गाढा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर द्वारा भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर हिन्दु समाज के लोगो की धार्मिक भावनाओ को आहत करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 469/24 धारा 196 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 **अभियुक्त मुन्तसिर अंसारी पुत्र नसीर उर्फ निन्ना निवासी ग्राम चुनहैटी गाढा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को ग्राम चुनहैटी गाढा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुन्तसिर अंसारी पुत्र नसीर उर्फ निन्ना निवासी ग्राम चुनहैटी गाढा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. का0 2503 राहुल थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

दिनांकः 06.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.11.2024 को वादी शाहरूख पुत्र स्व0 शब्बीर निवासी ग्राम खामपुर थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. सउद पुत्र इन्तसार (पति), 2. गुलशाना पत्नी इन्तसार (सास), 3. इन्तसार पुत्र शब्बीर (ससुर), 4. मन्तशा पुत्री इन्तसार (ननद) व 5. हसीब पुत्र इन्तसार (देवर) निवासीगण ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा वादी की बहन शादिया पत्नी सउद के साथ घरेलू हिंसा करते हुए दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने व दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 657/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए दहेज हत्या में वांछित **अभियुक्त इन्तसार पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम गोपाली अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर संमय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

इन्तसार पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार शर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 243 रोहित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक 06-12-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा धोखाधड़ी के मामलें में 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कारावास 60 हजार रूपये व 04 अभियुक्तो को 02 वर्ष का कारावास व 04 हजार 800 रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 09.04.2022 को वादी श्री अरूण तोमर पुत्र धर्मवीर निवासी म0न0-14 इन्द्रानगर देहरादून उत्तराखण्ड की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-नसीम पुत्र मौहम्मद शरीफ अहमद निवासी रोला हेडी बाईपास रोड पटेल नगर हरिद्वार, 2-मोबीन पुत्र उपरोक्त, 3-मंजूर अहमद पुत्र अफजाल नि0 उपरोक्त, 4-मौहम्मद अकरम पुत्र मौहम्मद इस्लाम नि0 पावली ग्रान्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर, 5-रामचन्द्र पुत्र वंशीधर नि0 भूलोवाला चन्द्रमणी मोहबेवाला देहरादून उत्तराखण्ड व 6-गीता उर्फ सत्यवती पत्नी विनय कुमार नि0 श्यामपुरी कालोनी धोबीघाट मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के साथ धोखधडी करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा करने की सूचना पर मु0अ0स0-153/2022 धारा 420,467,468,471,419,120बी भादवि थाना बेहट पर पंजीकृत कराया गया था । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 2552/2023 पर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 06.12.2024 को **अभियुक्तगण- 1-नसीम पुत्र मौहम्मद शरीफ अहमद व 2-मंजूर अहमद पुत्र अफजाल मु0अ0स0-153/2022 धारा 467,468,471,120 बी भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण 3- मोबीन, 4- मौहम्मद अकरम, 5-रामचन्द व 6-गीता उर्फ सत्यवती उपरोक्त को मु0अ0स0-153/2022 धारा 467,468,471,120बी भादवि का दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास 04 हजार 800 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

- **शासकीय अधिवक्ता (एपीओं) श्रीमती निशा गुप्ता**
- **विवेचक उ0नि0 श्री मानसिंह**
- **पैरोकार-हे0का0 305 संजय कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर**